भारतीय रिज़र्व बैंक

निर्गम विभाग, लखनऊ

सिक्का बैग और नोट बॉक्स को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति हेतु निविदा

भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/लखनऊ/इश्यू/24/22-23/ईटी/628

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____

_____

नोट :

सभी निविदाकारों को उद्धृत करने से पहले प्रत्येक मद के तहत कार्य के विवरण के लिए इस दस्तावेज़ के भाग I में दी गई वस्तुओं का उल्लेख करना आवश्यक है।

दावा अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, लखनऊ ने इच्छुक पक्षों को कार्य की पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य इच्छुक पार्टियों को काम की जानकारी प्रदान करना है। यह दस्तावेज़ संभावित बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए न तो कोई करार है और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया प्रस्ताव है। यह बोली दस्तावेज़ सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और न तो भारतीय रिजर्व बैंक और न ही इसके किसी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए यह संभव नहीं है कि वे इस दस्तावेज़ को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक पक्ष की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करें। इस दस्तावेज़ में निहित धारणाएँ, आकलन, कथन और जानकारी पूर्ण, सटीक, पर्याप्त या सही नहीं हो सकती हैं। इसलिए प्रत्येक बोलीदाता को अपनी स्वयं की जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस बोली दस्तावेज में निहित मान्यताओं, आकलन, बयानों और सूचनाओं की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक या उसके कर्मचारी कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और किसी भी कानून, क़ानून के नियमों या विनियमों या अपकृत्य, पुनर्स्थापना के सिद्धांतों या अन्यायपूर्ण संवर्धन के तहत बोली लगाने वाले सहित किसी भी व्यक्ति के लिए कोई दायित्व नहीं होगा या अन्यथा किसी भी नुकसान, क्षति, लागत या व्यय के लिए जो इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी चीज़ के कारण उत्पन्न हो सकता है या हो सकता है या अन्यथा, सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता या बोली की पूर्णता और किसी भी मूल्यांकन, धारणा या उसमें निहित जानकारी या इस दस्तावेज़ का हिस्सा बनने के लिए माना जाता है।

जानकारी का उद्देश्य संपूर्ण होना नहीं है।। इच्छुक पार्टियों को अपनी स्वयं की पूछताछ करने की आवश्यकता होती है और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे केवल भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ द्वारा निविदा जमा करने में प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं।यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक या इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसियों या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर गैर-बाध्यकारी है।

इस दस्तावेज के जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी बोलीदाता को चुनने या नियुक्त करने के लिए बाध्य है और भारतीय रिजर्व बैंक बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी बोलीदाता को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निविदा के साथ आगे बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय सारणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार भी सुरक्षित है। यह अभिरुचि की अभिव्यक्ति व्यक्त करने वाली किसी भी पार्टी/बोलीदाता के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। अभिरुचि की अभिव्यक्ति व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

यह खुली निविदा है। वे बोलीदाता/विक्रेता जो इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार विवरण प्रस्तुत करते हैं, वे इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं। बोलीदाता बोली जमा करने से पहले इस निविदा में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग लखनऊ

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)
(केवल ई-उपार्जन के माध्यम से)

भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ कार्यालय (इसके बाद "बैंक" कहा गया है), "सिक्का बैग और नोट बॉक्स को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति" के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदा आमंत्रित करता है। अनुबंध एक वर्ष (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) की अवधि के लिए होगा, जिसे बैंक द्वारा अपनी आवश्यकता और विकल्प पर दो साल की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक समय में एक वर्ष के साथ / बिना नियम और शर्तों में कोई बदलाव, संविदात्मक नियमों और शर्तों के संतोषजनक निष्पादन के अधीन और सेवा प्रदाता/ओं के निष्पादन के आधार पर बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा के अधीन भी। कार्य की अनुमानित लागत ₹15.00 लाख प्रति वर्ष (लगभग) बनती है, हालाँकि वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है।

उपर्युक्त कार्य के लिए, निविदाकर्ताओं को अपना प्रस्ताव ई-निविदा पोर्टल (www.mstcecommerce.com) के माध्यम से, सभी सहायक दस्तावेजों के साथ, 23 फरवरी, 2023 को दोपहर 12.00 बजे या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा। भाग I (तकनीकी बोली) 23 फरवरी, 2023 को अपराह्न 03:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा। भाग II (मूल्य बोली) केवल उन्हीं बोलीदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा, जिनका भाग I (तकनीकी बोली) आरबीआई, लखनऊ द्वारा तकनीकी-व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य पाया गया है। ऐसे बोलीकर्ता(ओं) को उनके द्वारा पुष्टि किए गए वैध ई-मेल के माध्यम से भाग II मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी।

ऊपर बताई गई किसी तारीख को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, उसमें उल्लिखित संबंधित प्रयोजन के लिए अगला कार्य दिवस प्रभावी हो जाएगा। ईएमडी, कार्य की अनुमानित लागत आदि के बारे में अधिक जानकारी निविदा दस्तावेज में उल्लिखित है जिसे वेबसाइट www.rbi.org.in और www.mstcecommerce.com से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपरोक्त वेबसाइट पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
8-9, विपिन खंड, गोमती नगर
लखनऊ - 226010

निविदा की अनुसूची (एसओटी)

1	ई-निविदा सं	आरबीआई/लखनऊ/इश्यू/24/22-23/ईटी/628
2	कार्यों का विवरण	सिक्का बैग और नोट बॉक्स को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति के लिए निविदा।
3	निविदा का प्रकार	एमएसटीसी लिमिटेड के https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/ के माध्यम से ई-निविदा प्रणाली। (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - वित्तीय बोली)
4	कार्यों के दायरे का निष्पादन	एक वर्ष (अप्रैल 01,2023 से उद्धृत दरों पर) उसके बाद संतोषजनक निष्पादन के अधीन दो साल के लिए नवीनीकरण।
5	डाउनलोड करने के लिए पार्टियों के लिए उपलब्ध एनआईटी की तिथि	03 **फरवरी** , 2023
6	www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	03 **फरवरी** , 2023 (शुक्रवार) पूर्वाह्न11.00 बजे
7	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि।	23 **फरवरी** 2023 **(गुरुवार) दोपहर** 12 **बजे**
8	भाग- I (अर्थात तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग-II वित्तीय बोली खोलने की तिथि और समय।	भाग I- 23 फरवरी, 2023 (गुरुवार), दोपहर 03.30 बजे भाग II - योग्य बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा
9	(ए) अनुमानित लागत	₹ 15.00 लाख
	(बी) बयाना जमा राशि (ईएमडी)	2 अनुमानित लागत का 2% यानी ₹30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र) भारतीय रिज़र्व बैंक लखनऊ के खाता संख्या 186003001 और IFSC-RBIS0LKPA01 में जमा किया जाना है (NEFT द्वारा) केवल) एनआईटी में दी गई तारीख को या उससे पहले।
10	लेनदेन शुल्क महत्वपूर्ण नोट: कृपया ध्यान दें कि एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के पक्ष में एनईएफटी द्वारा लेनदेन शुल्क प्राप्त होने के बाद ही विक्रेताओं के पास ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच होगी।	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल में वर्णित लेनदेन शुल्क का भुगतान।
11	ए) एनईएफटी के माध्यम से बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि। (बी) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से लेनदेन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि।	ए) 23 फरवरी, 2023, 11 00 पूर्वाह्न को या उससे पहले (बी) 01 (एक कार्य दिवस) ई-निविदा बंद करने की अंतिम तिथि से पहले यानी 22 फरवरी, 2023।
12	ऑफ-लाइन प्री-बिड मीटिंग की समय-सारणी	13 फरवरी 2023 (सोमवार) दोपहर 03.30 बजे

ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि अपनी ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना और बाद में शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें। दस्तावेजी प्रमाण (जहाँ भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करने वाले निविदाकर्ता मूल्य बोली खोलने के लिए निविदा में योग्य नहीं होंगे।

1.	**ई-निविदा की प्रक्रिया:** ए) पंजीकरण : इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो नि:शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेता के पास तृतीय श्रेणी का हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। वेंडरों को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था करनी होगी। एमएसटीसी/आरबीआई, लखनऊ ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)। विशेषनोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली केवल www.mstcecommerce.com/eprochome/rbind पर प्रस्तुत की जानी है। 1 **विक्रेताओं को** www.mstcecommerce.com→ e-Procurement→PSU /govt depts→ RBI Lucknow→Register as Vendor के साथ अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है, विवरण भरना और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना→ सबमिट करें। 2). विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जेनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई, लखनऊ, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) से संपर्क करें। संपर्क व्यक्ति (आरबीआई): i) श्री अमित गुप्ता, स.म.प्र ; amitgupta@rbi.org.in; 0522-2307951 ii) श्री योगेश कुमार माहौर, स.प्र.; ykmahour@rbi.org.in; 0522-4667111 संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):) एमएसटीसी साइट में तकनीकी सहायता, 0522-4244702, आईवीआरएस नंबर: 07969066600 ii) कोलकाता प्रधान कार्यालय सं..-033-35013220/21/22

	बी) सिस्टम की आवश्यकता i) विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम और ऊपर। ii) IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र। iii) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर iv) टूल्स → इंटरनेट विकल्प → कस्टम स्तर के तहत सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने और **disable** 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' www.mstcecommerce.com/eprochome अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता www.mstcecommerce.com/eprochome पर उपलब्ध विक्रेता गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देख सकते हैं।
2.	(ए) भाग I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली निविदा आमंत्रण सूचना में दी गई निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। (बी) भाग II मूल्य बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी, जिनकी भाग I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को तकनीकी-व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य पाई जाती है। ऐसे बोलीदाताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत वैध ईमेल के माध्यम से भाग II मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी। नोट: निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी सर्वोत्तम संभव दरों की पेशकश करें। आमतौर पर कोई बातचीत नहीं होगी इसलिए कृपया मूल्य बोली प्रस्तुत करते समय अपनी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें प्रस्तुत करें। हालांकि, यदि बाजार की मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सबसे कम दर उचित प्रतीत होती है, तो ऑर्डर सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जा सकता है और यदि दर अभी भी उच्च मानी जाती है, तो प्रचलित निर्देश/दिशानिर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
3.	निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।
4.	लेनदेन शुल्क के लिए विशेष नोट: लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी साइट पर ऑनलाइन है। लेन-देन शुल्क का भुगतान करने के बाद, विक्रेता को विक्रेता लॉगिन में " My Menu " के तहत " Transaction Fee entry " लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क विवरण दर्ज करना चाहिए। यहां विक्रेता दाईं ओर टिक बॉक्स पर क्लिक करके और फिर पृष्ठ के नीचे "सबमिट" बटन पर क्लिक करके उस विशेष निविदा का चयन कर सकते हैं जिसमें वे भाग लेना चाहते हैं। फिर वह पृष्ठ दिखाई देता है जहां विक्रेताओं को दिए गए क्षेत्रों में लेन-देन विवरण, अर्थात् यूटीआर नंबर, लेन-देन की तिथि,

	और प्रेषण बैंक भरने की आवश्यकता होती है और फिर " Confirm " बटन पर क्लिक करना होता है। **नोट**: बोलीदाताओं को निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले लेनदेन शुल्क जमा करना चाहिए क्योंकि एमएसटीसी द्वारा लेनदेन शुल्क प्राप्त होने के बाद ही उन्हें बोली जमा करने के लिए सक्रिय किया जाएगा। विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि वे बैंक में नकद जमा न करें क्योंकि इस तरह के नकद लेनदेन से प्रेषक के विवरण का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। बोलीकर्ता कृपया ध्यान दें कि लेनदेन शुल्क केवल बोली लगाने वाले के खाते से डेबिट करके ही जमा किया जाना चाहिए; किसी अन्य पार्टी के खाते से या डेबिट करके जमा किया गया लेनदेन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। किसी भी कारण से लेन-देन शुल्क का भुगतान करने में विफलता के मामले में, विक्रेता, बदले में, ऑनलाइन ई-निविदा तक नहीं पहुंच नहीं होगी ।
5.	बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे एमएसटीसी शुल्क और ईएमडी को अलग एनईएफटी/मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक लखनऊ को अग्रिम रूप से प्रेषित करें।दस्तावेज़ लायब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए विक्रेताओं को माई मेनू में अपलोड दस्तावेज़ लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। एकाधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है। एक बार लाईब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता विशेष निविदा के लिए संलग्न दस्तावेज़ लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज किसी निविदा के साथ संलग्न नहीं हैं, तो उसे आरबीआई लखनऊ द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया वेंडर गाइड के निर्देशों का पालन करें।
6.	भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ के साथ-साथ एमएसटीसी (ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर) द्वारा निविदा को अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया के दौरान ही बोली लगाने वालों को सभी नोटिस और पत्राचार ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे। इसलिए बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एमएसटीसी (यानी सेवा प्रदाता) के साथ विक्रेता के पंजीकरण के चरण में प्रदान किया गया उनका ईमेल पता वैध और अद्यतन है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।
7.	(i) कृपया ध्यान दें कि एनआईटी में उल्लिखित वेब साइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने वाले दलों की सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले एक बार फिर से वेब साइट देखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद उक्त निविदा के बदले अपलोड किए गए किसी भी शुद्धिपत्र को नहीं चूके हैं। **ii)** संबंधित शुद्धिपत्र**,** यदि कोई हो**,** को डाउनलोड करने की जिम्मेदारी केवल बोलीदाताओं की होगी।इस एनआईटी (यदि कोई हो) के शुद्धिपत्र के संबंध में अलग से कोई सूचना उन निविदाकारों को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेब साइट से दस्तावेज डाउनलोड किए हैं। कृपया एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट

	www.mstcecommerce.com/eprochome/rbind देखें।
8	एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
9.	**ई-निविदा में बोली लगाना** ए) बोलीकर्ता (ओं) को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से जमा करना होगा। निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क अप्रतिदेय हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ द्वारा वापस कर दी जाएगी। **बी)** इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है। सी) जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com→ e-procurement → PSU /Government Departments →RBI Lucknow Login →My menu→ Auction Floor Manager→ live event →Selection of the live event→ Techno Commercial Bid पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं। डी) विक्रेता के पास जावा एप्लिकेशन चलाना चाहिए। यह अभ्यास बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद करना है। फिर उन्हें कॉमन टर्म्स/कमर्शियल स्पेसिफिकेशंस को भरना होगा और उसे सेव करना होगा। इसके बाद उन्हें टेक्निकल बिड पर क्लिक करना होगा। यदि यह जावा एप्लिकेशन नहीं चलता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सेव/जमा नहीं कर पाएगा। (विवरण के लिए वेंडर गाइड और एफएक्यू देखें)। ई. सबसे पहले वेंडर को कमर्शियल स्पेसिफिकेशंस अगर कोई हो तो उसे भरना होगा और उसे सेव करना होगा। इसके बाद विक्रेता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी होगी। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए " सेव " पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सेव करने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए " Final Submission " बटन पर क्लिक कर सकते हैं। नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद दो और विकल्प दिखाई देंगे, "बोली वापस लें" और "बोली हटाएं"। यदि विक्रेता अपनी बोली को स्थायी रूप से वापस लेना चाहता है तो उसे बोली वापस लें लिंक पर क्लिक करना चाहिए। वह दोबारा बोली नहीं लगा पाएगा। यदि विक्रेता अंतिम रूप से जमा करने के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट

	करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए। **एफ.** सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। **जी).** संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले एक दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह अनजान रहेंगे। आई) ई-निविदा फ्लोर पूर्व घोषित तिथि और समय से ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुली रहेगी। जे) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोली लगाने वाले पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध होगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा। के) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा एल) क्रेता बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एम) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा मंजिल में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है। एन) माप की इकाई (यूओएम) को ई-निविदा तल में इंगित किया गया है। उद्धृत की जाने वाली दरें ई-निविदा मंजिल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।
10.	इस खुली ई-निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
11.	तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में कोई विचलन की अनुमति नहीं है।
12.	भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ के पास बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली(ओं) की प्राप्ति की नियत तिथि को बढ़ाने का अधिकार है।
13	ऑनलाइन निविदा एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbind पर निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से जमा की जानी चाहिए।
14.	बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड किया गया कोई अन्य दस्तावेज जो एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा।
15	बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।

16.	बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी जानकारी जांच के दौरान असत्य पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता(ओं) की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। बोली न लगाने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

भाग-I निविदा प्रारूप/ प्रस्ताव हेतु पत्र

स्थान:
तारीख:

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
8-9, विपिन खंड,
गोमती नगर
लखनऊ - 226010

महोदय,

ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, अपेक्षाओं की अनुसूची की जांच करने और निविदा से संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद तथा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा करने और जांच करने के पश्चात एवं उक्त ज्ञापन में विनिदष्ट किए गए समय के भीतर, मात्राओं की संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और निविदा की शर्तों, करार के लेखों, विशेष शर्तों, अपेक्षित वस्तुओं की अनुसूची और संविदा की शर्तों में लिखित रूप में निर्दिष्ट विनिर्देशों और निर्देशों के साथ और ऐसी वस्तुओं जिनका उल्लेख किया गया है और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं, के संबंध में हम उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित आपूर्ति और निष्पादन करने के लिए प्रस्ताव करते हैं।

ज्ञापन

(ए) कार्य विवरण	सिक्का बैग और नोट बॉक्स को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति के लिए निविदा।
(बी) अनुमानित लागत	₹ 15 लाख
(सी) बयाना धन जमा	₹ 30,000/- (अनुमानित लागत का 2%)
(डी) सुरक्षा जमा	₹ 2,00,000/-
(डी) भुगतान का तरीका	एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को भुगतान किया जाना है, एकाउंट संख्या 186003001 आईएफएससी: RBIS0LKPA01 (दोनों स्थानों पर '0' शून्य है)
(इ) संविदा अवधि	एक साल (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक)
(एफ) विस्तार का अनुबंध	संविदा को बैंक द्वारा अपने विकल्प पर दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसमें से मूल संविदा करार की शर्तों में किसी भी बदलाव के बिना एक बार में एक वर्ष के लिए या पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अधीन बढ़ाया जा सकता है।

2. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा के भाग-I को खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो बैंक और मेरे / हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत होगी।

3. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि निविदा की शर्तों की चूक में ईएमडी (भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा राशि) को भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके उत्तराधिकारियों या समनुदेशियों या नामितों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है और उसके लिए कोई कानूनी दावा नहीं किया जाएगा।

4. मैंने भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में 30,000.00 रुपये की राशि जमा की है, उक्त अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, बिना ब्याज के असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी। यदि मैं/हम अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके उत्तराधिकारियों या असाइनियों या नामितों द्वारा जब्त की जाएगी और मुझे इसके लिए कोई आपत्ति नहीं होगी और उसके लिए कोई कानूनी दावा नहीं किया जाएगा।

5. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. निविदा, ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दो भागों अर्थात् भाग I और भाग II में प्रस्तुत की जाती है। भाग I में सभी वाणिज्यिक शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल वित्तीय बोली शामिल है।

दिनांक _____

_____

(सील के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

तारीख

_____(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए)।

साक्षीगण :

(1) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

_____

_____

(2) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

_____

_____

खंड II - कार्य का दायरा और वाणिज्यिक शर्तें

निविदाकर्ता पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों/मजदूरों की आपूर्ति करेगा जैसा कि माँगपत्र में निर्दिष्ट किया गया है।

i) भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी भी परिसर में बैग में पैक किए गए सिक्कों की लोडिंग, अनलोडिंग, वजन, गाड़ी चलाना और काम की विविध आकस्मिक वस्तुओं के लिए भी कार्य करना।

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के परिसरों, रेलवे स्टेशनों/हवाई अड्डों या बैंक द्वारा चिन्हित किसी भी परिसर में पूर्ण नोट बक्सों की लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग के लिए कार्य।

पात्रता:

निविदाकर्ताओं को प्रतिष्ठित, अनुभवी और लाइसेंस धारक श्रम ठेकेदार होना चाहिए, जिनके पास निम्नलिखित होना चाहिए :

i) इसी तरह के काम करने में न्यूनतम तीन साल का अनुभव (दस्तावेजी साक्ष्य)।

ii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान संविदा के अनुमानित व्यय का कम से कम 25% का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार (लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित)।

iii) नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार सकारात्मक निवल मूल्य। निविदाकर्ता बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

iv) ठेकेदार के पास ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) और ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत प्रदान किए गए नियम के अनुसार सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए।

v) निविदाकर्ता के पास स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन नंबर होगा, जैसा कि कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक होता है।

vi) संविदा के सफल आवंटन के मामले में निविदाकर्ता के पास संविदा के निष्पादन के लिए कार्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए।

vii) निविदाकर्ता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक खाता रखेगा। बैंक का नाम और रखे गए खाते की प्रकृति भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक या आरबीआई या रिज़र्व बैंक) को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नोट: निविदाकर्ताओं को आवश्यक योग्यता / पात्रता रखने के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा

प्रारंभ / नवीनीकरण:

i) बैंक से निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता स्टाम्प पेपर में एक करार को निष्पादित करने और संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज की शर्तों और दरों की अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करेगा।

ii) संविदा एक बार में एक वर्ष (यानी 01 अप्रैल, 2023 - 31 मार्च, 2024) के लिए मान्य होगी, जिसे बैंक द्वारा अपनी राय पर दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो नियम और शर्तों में किसी भी भिन्नता के बिना, संविदा के नियमों और शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगी।

iii) जब संविदा की अवधि समाप्त होने वाली हो, तो संविदा के विस्तार के मामले पर बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। मौजूदा संविदा की समाप्ति से तीन महीने पहले, ठेकेदार बैंक को लिखित में प्रस्तुत करेगा कि क्या वह मौजूदा नियमों और शर्तों पर आगे की अवधि के लिए संविदा को नवीनीकृत करने के लिए तैयार है।

सुरक्षा:

i) ठेकेदार को ₹2,00,000 (केवल दो लाख रुपए) जमा करना होगा। अनुबंध के निष्पादन और देय पूर्ति के लिए बैंक के पास सुरक्षा जमा के रूप में केवल दो लाख रुपये और सुरक्षा जमा की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

ठेकेदार के कर्तव्य :

वैधता अवधि पूरी होने तक संविदा को सफलतापूर्वक निष्पादित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी रहेगी। यदि ठेकेदार सौंपे गए कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, ठेकेदार को अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हानि से बैंक को क्षतिपूर्ति करनी होती है और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

i. संविदा अवधि के दौरान ठेकेदार को भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, लखनऊ या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी से लिखित या मौखिक अनुरोध प्राप्त होने के बारह घंटे के भीतर, सिक्का बैग और नोट बॉक्स को संभालने के लिए और निर्गम विभाग में विविध आकस्मिक अन्य कार्यों के लिए अपेक्षित तथा अधिक से अधिक सक्षम मजदूरों/श्रमिकों की आपूर्ति करेगा। जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ, नोटिस में निर्दिष्ट किया गया हो।

ii. इस प्रकार दिए गए नोटिस का अनुपालन किया जाएगा, चाहे क्यों न इसके लिए शनिवार और रविवार सहित नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 या इस संबंध में लागू किसी अन्य मौजूदा क़ानून / प्रावधान के तहत कार्य करने के किए सामान्य व्यावसायिक घंटों से अधिक या सार्वजनिक अवकाश के रूप में दिन/दिनों को घोषित किया गया हो।

iii. अत्यावश्यक तत्काल अवसरों/मामलों में ठेकेदार तीन घंटे की अल्प सूचना पर पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध कराने के अनुरोध का अनुपालन करेगा। किसी भी अवसर/मामले के अत्यावश्यक होने का निर्णय बैंक के पास होगा और यह इस संविदा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा कि बैंक ने इस तरह की सूचना दी है और इसे तत्काल के रूप में माना है। ठेकेदार इसका अनुपालन करेगा और तदनुसार कार्य करेगा। सिक्का बैग

और नोट बॉक्स की लोडिंग और अनलोडिंग एक बंद क्षेत्र यानी सुरक्षा-यार्ड में की जाएगी।

iv. ठेकेदार दिन-प्रतिदिन के आधार पर नियोजित गतिविधियों के आकलन के आधार पर पर्याप्त संख्या में मजदूरों को तैनात करेगा, जिसकी सूचना उसे दी जाएगी। ऐसे कार्यों को शुरू करने से पहले ऐसे श्रमिकों के ब्यौरे विभाग को सूचित किए जाने होते हैं।

v. ठेकेदार किसी को आगे ठेका नहीं देगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा के किसी भी हिस्से को सबलेट नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक संविदा को रद्द कर सकता है और सुरक्षा जमा को जब्त कर सकता है।

vi. ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त मजदूरों या अन्य कर्मियों की ओर से मजदूरों की अक्षमता/गतिविधि या अपर्याप्त मजदूरों की तैनाती के कारण या तौलने, लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण, गाड़ी, पैकिंग, अनपैकिंग, ले जाने और वितरित करने में देरी या अपनी तरफ से बेईमानी या धोखाधड़ी के किसी भी कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या नुकसान की प्रतिपूर्ति बैंक को करेगा।

vii. बैंक द्वारा ठेकेदार को यह निदेश देने का अधिकार होगा कि वह ऐसे किसी भी मजदूर की सेवाएं न ले जो उक्त कार्यों को करने में अक्षम और/या लापरवाह है। बैंक को ठेकेदार को यह निर्देश देने का भी अधिकार होगा कि वह किसी भी मजदूर की सेवाएं लेना बंद करे जो बैंक में या अन्यथा उपर्युक्त कार्यों को करते समय किसी बेईमानी या कपटपूर्ण गतिविधि में लिप्त पाया जाता है। बैंक से ऐसा निदेश प्राप्त होने पर ठेकेदार बैंक में उपर्युक्त कार्यों को करने के लिए ऐसे कामगारों/मजदूरों की सेवाएं तत्काल बंद कर देगा। यदि ठेकेदार बैंक के निदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो बैंक ऐसे गैर-अनुपालन की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 500/- रुपये (पांच सौ रुपये केवल) का जुर्माना लगा सकता है। निरंतर गैर-अनुपालन या बार-बार पुनरावृत्ति के मामले में, बैंक संविदा को रद्द कर सकता है और सुरक्षा जमा को जब्त कर सकता है।

viii. ठेकेदार संविदा के संबंध में उसके द्वारा काम पर लगाए गए मजदूरों को होने वाली व्यक्तिगत चोटों के लिए उपयुक्त देयता बीमा कवर लेगा और वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार की अवधि के दौरान बीमा कवर हमेशा जारी रखा जाए। निर्गम विभाग के महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को इस प्रकार खरीदी गई बीमा पॉलिसियों को प्रस्तुत करने और ठेकेदार द्वारा लिए गए बीमा कवर की पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए उनका सत्यापन, जांच या संवीक्षा करने के लिए बुला सकता है। यदि महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक प्रभारी, निर्गम विभाग द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि बीमा कवर पर्याप्त (राशि) नहीं है या उन सभी जोखिमों को कवर नहीं करता है जिनके लिए संविदा कर्मचारियों के काम में शामिल जोखिम के संबंध में जिसमें कर्मचारियों/ मजदूरों को लगाया गया है, तो बैंक अतिरिक्त राशि और / या अतिरिक्त जोखिमों के लिए बीमा खरीद सकता है। बैंक इस संबंध में किए गए व्यय की वसूली ठेकेदार से करेगा।

ix. ठेकेदार एक सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें उन मजदूरों, पर्यवेक्षकों या अन्य कर्मचारियों /अधिकारियों के नाम होंगे जो संविदा मिलने के बाद बैंक से पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद इस करार के अधीन कार्य करने से जुड़े होंगे। ठेकेदार को ऊपर उल्लिखित मजदूरों, सहायक पर्यवेक्षकों या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के फोटो, आवासीय पते, स्थायी पते और चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार संविदा शुरू होने से

पहले पुलिस विभाग द्वारा सभी मजदूर सहायकों, पर्यवेक्षकों या अन्य कर्मचारियों/ अधिकारियों के पूर्ववृत्त और चरित्र का सत्यापन करवाएगा।

x. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य/कार्यकलाप उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्रता और कर्मकार जैसे तरीके से किए जाएं। नोट्स बॉक्स और सिक्का बैग को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पूरा कार्य/गतिविधियां की जानी चाहिए।

xi. इस करार के अंतर्गत कार्य के निर्वहन के लिए नियोजित ठेका श्रमिकों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेका श्रमिकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति को चिह्नित करने के लिए अभिलेख/मस्टर का रख-रखाव ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी और ऐसा अभिलेख/मस्टर हमेशा ठेकेदार के नियंत्रण में रहेगा।

xii. ठेकेदार इस संविदा के दौरान, हर समय, संविदा श्रमिकों के बीच अनुशासन बनाए रखेगा और छुट्टी या अनुपस्थिति से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगा। ठेकेदार, उन सभी मजदूरों और अन्य कार्मिकों को फोटो पहचान पत्र भी जारी करेगा जो इस करार के विषय के निर्वहन से जुड़े हों।

भुगतान और कर:

i) सभी तरह से पूरी की गई प्रत्येक खेप के लिए बिल जमा करने के बाद मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

ii) ठेकेदार को इस करार की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रभारों का भुगतान किया जाएगा। प्रस्तावित प्रभार निर्धारित हैं और पूरी संविदा अवधि के लिए किसी भी आधार पर नहीं बढ़ाए जा सकते हैं और ठेकेदार द्वारा कोई अतिरिक्त प्रभार का दावा नहीं किया जाएगा। उल्लिखित कीमतों में सभी कर **(लेकिन जीएसटी के अलावा),** शुल्क, स्थानीय शुल्क, कार्य संविदा कर, या मौजूदा दरों पर केंद्र / राज्य सरकार / स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए सभी अन्य कर शामिल होंगे। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा बाद में उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii) भुगतान के पश्चात लेखा परीक्षा या तकनीकी परीक्षा या किसी अन्य माध्यम से भुगतान के बाद यह पता लगे कि किसी भी ओवरपेमेंट हुए है, तो उसकी वसूली/प्रवर्तन करने का अधिकार बैंक सुरक्षित रखता है।

iv) ठेकेदार संविदा की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा जमा या ठेकेदार को देय या देय होने वाली अन्य देय राशियों से काट लिया जाएगा।

v) संविदा का मूल्य सभी समावेशी (लेकिन जीएसटी से अलग) के साथ होगा जिसमें काम के दायरे के आधार पर निश्चित और परिचालन शुल्क शामिल होंगे और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, मजदूरों का वेतन / वर्दी / भोजन / भत्ते आदि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) भुगतान, बोनस भुगतान, ग्रेच्युटी, बीमा और ओवरटाइम मजदूरी, यदि कोई हो, कर और लेवी और अन्य सभी शुल्क शामिल होंगे।

vi) किसी विवाद या दायित्व की स्थिति में क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

अयोग्यता / समापन दंड:

i) यदि कोई निविदाकर्ता या निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से संविदा लेने के लिए कोई प्रचार करने या संविदाओं की संवीक्षा, तुलना, मूल्यांकन और प्रदान करने के संबंध में बैंक के निर्णय के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास करता है, तो इसे एक गंभीर कदाचार के रूप में माना जाएगा। ऐसे मामले में निविदाकर्ता की निविदा को एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए काली सूची में डाले जाने के अलावा, यह अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे प्रकरणों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में इसका पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता तत्काल प्रभाव से होगी।

ii) संविदा को किसी भी कारण से दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा समाप्त किया जा सकता है, दूसरे पक्ष को ऐसी समाप्ति के लिखित में तीन महीने का नोटिस दिया जा सकता है।

iii) यदि ठेकेदार द्वारा मजदूरों/मजदूरों की आपूर्ति के लिए बैंक द्वारा जारी किसी भी मांग का अनुपालन करने में किसी भी प्रकार की देरी होती है या संविदा के निर्देशों का उल्लंघन होता है, और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के निर्गम विभाग के महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक द्वारा जुर्माना लगाए जाने के लिए पर्याप्त माना जाता है, तो उक्त महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के परामर्श से ठेकेदार पर 5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

iv) बार-बार या निरंतर देरी के मामले में या ठेकेदार द्वारा इस करार के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन से महाप्रबंधक/ प्रभारी उप महाप्रबंधक-, निर्गम विभाग द्वारा लिखित में सूचना देकर संविदा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है, चाहे इसके पूर्व उल्लंघन दंड लगाया गया है या नहीं।

v) संविदा को जारी रखना मुख्य रूप से ठेकेदार के कार्य प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यदि किसी भी समय प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो लिखित में तीन महीने का नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर दिया जाएगा।

vi) यदि ठेकेदार लगातार 3 से अधिक अवसरों के लिए सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक को कोई भी कारण बताए बिना संविदा को समाप्त करने का अधिकार रखता है। ऐसे मामले में ट्रांसपोर्टर के पास मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

संविधियों का अनुपालन:

ठेकेदार देश और उत्तर प्रदेश राज्य में लागू सभी संगत कानूनों का पालन करेगा। ठेकेदार अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को सभी प्रकार के कानूनी निहितार्थों से क्षतिपूर्ति करेगा और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

i) ठेकेदार, अन्य सभी सांविधिक देयकों का भुगतान करने के अलावा, केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-

समय पर प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार अपने तैनात कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान आदि सभी लागू सांविधिक भुगतान करेगा।

ii) कामगारों/श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कर्मकारों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/अथवा लाभांश तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा दिया जाना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा की अनुपस्थिति में, ठेकेदार को बीमा के कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए जैसे कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत कर्मकार प्रतिकर बीमा आदि। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कामगारों के लिए पीएफ अंशदान करने के लिए एक वैध पीएफ खाता रखना होगा। किसी भी वैधानिक भुगतान के गैर-अनुपालन के बारे में किसी भी शिकायत के मामले में; संविदा को रद्द करने के बैंक के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना इसे बिल से काट लिया जाएगा।

iii) ठेकेदार को प्रचलित संविधि के अनुसार दिनांक सहित सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेज पास रखने होंगे और जब भी मांगा जाए, प्रबंध तंत्र/सांविधिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

iv) ठेकेदार, बाल श्रमिक की आपूर्ति नहीं करेगा, जो बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत निषिद्ध है।

v) मजदूरी की अवधि ठेकेदार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और यह एक महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठेकेदार तिमाही आधार पर बैंक द्वारा सत्यापन के लिए बैंक के काम के लिए सौंपे गए अपने कर्मचारियों के हस्ताक्षर के सामने वेतन संवितरण विवरण प्रस्तुत करेगा। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में उसके हस्ताक्षर के तहत होना चाहिए। अधिमानतः कर्मचारियों (श्रमिक) के बैंक खाते में जमा किया जा सकता है और भुगतान को दर्शाने वाले बैंक के विवरण प्रस्तुत किए जाएं।

vi) प्रधान नियोक्ता अर्थात बैंक, ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कर्मचारियों को उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रदान जाने वाले किसी भी रोजगार लाभ देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि बैंक से प्रधान नियोक्ता के रूप में यह अपेक्षा की जाती है/बुलाया जाता है कि वह ठेकेदार के कर्मचारियों को लागू किसी कानून के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करने में चूक करने के लिए किसी भी राशि का भुगतान करे, तो ऐसी राशि बैंक द्वारा ठेकेदार से देय ऋण के रूप में बैंक वसूल करेगा।

vii) ठेकेदार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधान के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जो संविदा के निष्पादन के लिए ठेकेदार द्वारा तैनात किसी भी मजदूर या अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर में उसके कर्मचारियों/श्रमिकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दायर की जाएगी और वह उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के तहत ठेकेदार उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

viii) ठेकेदार को एक त्रैमासिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि "उसने किसी भी दिन और संबंधित अवधि में 19 से अधिक श्रमिकों को काम पर नहीं रखा था और किसी भी श्रमिक को निरंतर अवधि में कार्य के लिए एक वर्ष में 240 दिनों से अधिक नहीं रखा गया "।

ix) ठेकेदार को इस संविदा के प्रयोजनों के लिए केंद्र और राज्य कानूनों के तहत विभिन्न कानूनों के तहत सभी आवश्यक लाइसेंस या दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ठेकेदार इस संविदा के प्रयोजनों के लिए लागू कानूनों का पालन करने और उनका ध्यान रखने के लिए भी उत्तरदायी होगा। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन दायित्व केवल ठेकेदार का ही होगा।

गैर-प्रकटीकरण खंड:

ठेकेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी जानकारी, सामग्री और बैंक के बुनियादी ढांचे / प्रणाली / उपकरण आदि का खुलासा नहीं करेगा, जो अनुबंध के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के पेशे या ज्ञान में आ सकता है। तृतीय पक्ष और हर समय इसे सबसे अधिक विश्वास के साथ धारण करेगा। इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर, ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या अन्य जगहों पर कार्यों के चींटी विवरणों को प्रकाशित करने, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति के बाद बने रहेंगे।

निविदाओं की जांच/मूल्यांकन:

i) निविदाकर्ताओं द्वारा दो भागों में निविदाएं प्रस्तुत की जाएंगी। कार्य का दायरा और वाणिज्यिक शर्तों वाले भाग-I को "सिक्का बैग और नोट बॉक्स को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति" के लिए आरबीआई पोर्टल के तहत एमएसटीसी वेबसाइट पर 23 फरवरी 2023 को दोपहर 12.00 बजे तक अपलोड किया जाना चाहिए।

ii) ₹30,000/- की बयाना राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंक खाते में 23 फरवरी 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे या उससे पहले प्रेषित कर दी जाए। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाते का विवरण इस प्रकार है। इस जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ

आईएफएससी : RBIS0LKPA01

खाता सं. : 186003001

iii) निविदा का भाग I (तकनीकी बोली) 23 फरवरी 2023 को अपराह्न 03.30 बजे खोला जाएगा। निविदाएं निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेंगी जिसे आपसी समझौते से बढ़ाया जा सकता है और निविदाकार इस अवधि में निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकेगा। केवल उन्हीं बोलीकर्ताओं की भाग II (मूल्य बोली) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा, जिनका भाग-I (तकनीकी बोली) आरबीआई, लखनऊ द्वारा तकनीकी-व्यावसायिक रूप से

स्वीकार्य पायी गयी है। ऐसे बोलीकर्ता(ओं) को उनके द्वारा पुष्टि किए गए वैध ई-मेल के माध्यम से भाग II मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी।

iv) निविदा प्रस्तुत करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग संविदा की सामान्य शर्तों, विनिर्देश, विशेष शर्तें, आदि से खुद के परिचित होने के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित है।

v) यदि कोई दस्तावेज़ गायब है, तो बैंक अपने विवेकानुसार निविदा को अमान्य मान सकता है। निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी परिवर्तन की सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।

vi) लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण निविदा प्रस्तुत करने के साथ संलग्न/अपलोड किया जाना चाहिए। बोलीदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि वे प्रेषण के प्रमाण को लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ issuelucknow@rbi.org.in ई-मेल करें।

vii) सफल निविदाकर्ता द्वारा भुगतान की गई बयाना राशि ₹30,000/- की जमा राशि संविदा के निष्पादन और उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के हिस्से के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखी जाएगी। उक्त जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

viii) यह वचनपत्र देना कि निविदाकर्ता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का विलफुल डिफॉल्टर नहीं है और कंपनी/व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है।

ix) निविदाओं की जांच पहले यह निर्धारित करने के लिए की जाएगी कि क्या वे पूर्ण हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रमुख और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करती हैं, जो निविदाएं बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें अनुत्तरदायी और अनदेखा माना जाएगा।

x) बैंक उस निविदाकर्ता को संविदा प्रदान करेगा जिसकी बोली निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी है और जिसने संविदा के एल1 तक पहुँचने के लिए सभी घटकों के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित बोली की पेशकश की है।

xi) निविदा दस्तावेज में पहले से शामिल उन नियमों और शर्तों के आधार पर निविदाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, जिनके आधार पर निविदाएं प्राप्त हुई हैं और निविदाकर्ताओं द्वारा अपनी निविदाओं में जिन नियम, शर्तों आदि का उल्लेख किया गया है। निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करते समय कोई नई शर्त नहीं लाई जाएगी।

xii) निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्य/गतिविधियों के स्थल/स्थलों का दौरा करें, जैसे रेलवे स्टेशन और बैंक परिसर आदि तथा बोली जमा करने से पहले स्थल की स्थिति से खुद को परिचित कर लें।

xiii) कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक न्यूनतम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं करने के लिए स्वतंत्र होगा और निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए पूरी तरह से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

खंड III - निविदाकर्ता द्वारा भरे जाने वाले विवरणनिविदाकार का विवरण

1	निविदाकर्ता का नाम	
2	पता	
3	टेलीफ़ोन नं. मोबाइल नं.	
4	पैन/टैन नं.	
5	लाइसेंस संख्या [धारा 12 (1) के तहत संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970] (कृपया लाइसेंस की एक प्रति संलग्न करें)।	
6	निविदाकार का गठन (प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियाँ)	
7	प्रोपराइटर/साझेदारों/निदेशकों के नाम (संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियाँ)	
8	शारीरिक रूप से सक्षम श्रमिकों की अधिकतम संख्या जो एक साथ प्रदान किए जा सकते हैं।	
9	नियमित रोजगार के तहत रखे गए मजदूरों की संख्या।	
10	बैंक का नाम और पता जहां निविदाकर्ता द्वारा चालू खाता रखा गया है।	
11	उन संस्थानों का विवरण जिनके साथ इसी तरह की संविदाएँ की गयी हैं/की जा रही हैं।	
12	पर्यवेक्षक का फ़ोन नंबर	लैंडलाइन- मोबाइल - फैक्स-
13	जमा की गई बयाना राशि का विवरण:	
14	पिछले 3 वर्षों के लिए संगठन का वार्षिक कारोबार* (आयकर वर्ष) 2019-20 2020-21	

	2021-22 चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखा परीक्षित तुलन पत्र/टर्नओवर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।	
15	यदि पिछले पांच वर्षों के दौरान निष्पादित/निष्पादित किए जा रहे किसी भी कार्य में कोई मुकदमेबाजी या कोई सिविल मुकदमा लंबित है, तो इंगित करें। यदि हां, तो कृपया नियोक्ता का नाम और कार्य की प्रकृति, संविदा मूल्य, कार्य आदेश और तारीख तथा मुकदमेबाजी का संक्षिप्त विवरण दें। यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें।	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम : .....

मुहर : .....

स्थल : .....

तारीख : .....

खंड IV- करार की शर्तें

यह करार लखनऊ में भारतीय रिज़र्व बैंक, 9-8, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ, 226010जिसका केंद्रीय कार्यालय फोर्ट, मुंबई,) 001 400इसके बाद बैंक कहा गया है (में है तथा इसका प्रतिनिधित्व उप महाप्रबंधक, निर्गम विभाग द्वारा किया गया है जिसके अभिप्राय में कार्यालय में इसके उत्तराधिकारी शामिल होंगे, पहला पक्षकार है और _____ है जिसे इसके बाद" ठेकेदार "कहा गया है (जिसकी अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि शामिल हैं(, दूसरे पक्ष के रूप में, के बीच हुआ है।

जबकि, बैंक ने रेलवे स्टेशन और भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ, आदि पर ठेकेदार की मोटर लॉरी और गाड़ियां में सिक्के के बक्से / बोरे और / नोट बॉक्स की लोडिंग / अनलोडिंग, स्टैकिंग, संग्रह और वजन के लिए मजदूर की आपूर्ति के लिए ठेकेदार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

जबकि ठेकेदार ने बैंक, रेलवे स्टेशन, करेंसी/सिक्के की तिजोरियों में सिक्के के बक्सों और नोट बक्सों की लोडिंग/अनलोडिंग, स्टैकिंग और वजन के लिए मजदूर की आपूर्ति हेतु और बैंक के उपयोग के लिए इसके साथ संलग्न अनुसूची-I में निर्दिष्ट दरों और शर्तों पर सहमति व्यक्त की है।

अब पक्षकारों के बीच इस प्रकार परस्पर सहमति हुई है:

1(ए). उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, लखनऊ से लिखित या मौखिक नोटिस प्राप्त होने के बारह घंटे के भीतर ठेकेदार इस अवधि के दौरान हर समय उतने कर्मियों/मजदूरों की आपूर्ति करेगा, जितने की आवश्यकता होगी। खजाना बक्से और सिक्का बैग की लोडिंग, अनलोडिंग, ले जाना, वजन करना, स्टैकिंग करना; साथ ही निर्गम विभाग में विविध मदों के लिए भी जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है या ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों पर और समय पर कार्य करना।

1(बी). इस प्रकार दी गई सूचना का अनुपालन किया जाएगा, भले ही इसके लिए सामान्य व्यावसायिक घंटों से परे काम करने की आवश्यकता हो या दिन/दिनों को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 या इस संबंध में लागू किसी अन्य मौजूदा क़ानून / प्रावधान के तहत “सार्वजनिक अवकाश” घोषित किया गया हो।

1(सी). आकस्मिकताओं के दौरान या तत्काल मामलों में जैसा कि महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक या उनके प्रतिनिधि द्वारा तय किया जा सकता है, बैंक के लिए यह पर्याप्त होगा कि वह ठेकेदार को बारह घंटे के नोटिस के बजाय तीन घंटे का नोटिस जारी करे और वह उसका अनुपालन करे।

2(ए). मजदूरों की संख्या में किसी भी अपर्याप्तता, किसी भी अक्षमता, लापरवाही या दोष या ट्रेजरी बॉक्स और/या बैग के वजन करने, लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण, स्टैकिंग, अनपैकिंग या अनुबंध के हिस्से में या ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों की ओर से बेईमानी या धोखाधड़ी के किसी भी कार्य के कारण देरी से हुई किसी भी क्षति या हानि की पूर्ति ठेकेदार करेगा और बैंक को प्रतिपूर्ति करेगा।

2(बी). यदि किसी भी समय निर्गम विभाग को पता चलता है कि अपर्याप्तता या देरी या विफलता या श्रम की आपूर्ति

में अन्य दोषों के कारण ठेकेदार की गलती के कारण, माल नियत समय में प्रेषित/प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो यह उप महाप्रबंधक के लिए खुला विकल्प रहेगा कि वह मांग को रद्द करके इस अवसर पर आपूर्ति किए गए सभी श्रमिकों को अस्वीकार कर देगा और किसी भी अन्य तरीके से काम करवाएगा, ठेकेदार को इसमें शामिल किसी भी अतिरिक्त शुल्क के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा, भले ही जुर्माना लगाया गया हो या नहीं।

2(सी). किसी भी विवाद की स्थिति में कि क्या इसके तहत कोई देयता उत्पन्न हुई है या नहीं, क्षेत्रीय निदेशक / प्रभारी अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा और ऐसी देनदारियों की स्थिति में, उक्त क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ का निर्णय क्षति या हानि की राशि के रूप में इसी तरह अंतिम और बाध्यकारी होगा।

2 (डी). ठेकेदार संविदा के संबंध में उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों को होने वाली संभावित व्यक्तिगत चोटों के लिए बीमा कवर लेने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करेगा और वह यह सुनिश्चित करेगा कि बीमा कवर संविदा की अवधि के दौरान लागू रहे। उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, निर्गम विभाग ठेकेदार द्वारा लिए गए बीमा कवर की पर्याप्तता या अन्यथा के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से ठेकेदार को बुलाने के लिए स्वतंत्र होगा और यदि उप महाप्रबंधक, निर्गम विभाग की राय है कि प्रदान किया गया कवर अनुबंध कर्मचारियों के काम की प्रकृति में शामिल जोखिम के संबंध में पर्याप्त नहीं है, तो ठेकेदार को बीमा के लिए अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

2 (ई). ठेकेदार को एक त्रैमासिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि "उसने किसी भी दिन और संबंधित अवधि में 19 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त नहीं किया है और किसी भी श्रमिक की निरंतर अवधि एक वर्ष में 240 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए"।

3. उपरोक्तानुसार दिए गए किसी भी नोटिस के अनुपालन में ठेकेदार द्वारा किसी भी देरी की स्थिति में, उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक अपने विवेक से प्रति घंटे के लिए रु.100/- (एक सौ रुपये मात्र) से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकते हैं। या किसी भी घंटे की देरी के हिस्से के रूप में यह भी प्रावधान है कि यदि ऐसी देरी किसी भी अवसर पर आधे घंटे से कम होती है, तो उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जुर्माना नहीं लगा सकते हैं लेकिन ठेकेदार को चेतावनी देंगे। इस तरह की चेतावनी के बाद भी, यदि ठेकेदार समय पर नोटिस का पालन करने में विफल रहता है और देरी चाहे अगले दिन या किसी भी अवसर पर हो और चाहे वह देरी आधे घंटे या उससे कम हो, उपरोक्त दंड लगाया जाएगा।

4. खंड I (सी) के तहत दिए गए किसी भी नोटिस (अत्यावश्यक नोटिस के अलावा) को उप महाप्रबंधक द्वारा लिखित या मौखिक रूप से या टेलीफोन द्वारा समय से कम से कम 3 घंटे पहले इस तरह के काउंटरमैंड का नोटिस देने पर काउंटरमैंड किया जा सकता है जो मजदूरों की आपूर्ति के लिए निश्चित है और ठेकेदार उसके संबंध में किसी भी भुगतान या पारिश्रमिक या मुआवजे का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा, जब ट्रेन के देरी से चलने के कारण निर्दिष्ट ट्रेन के आगमन के निर्धारित समय से परे प्रेषण प्राप्त होते हैं, तो ठेकेदार इस खाते पर किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, बशर्ते कि जब प्रेषण आने वाली ट्रेनों द्वारा सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे के बीच और शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे के बीच भी आने वाला हो लेकिन निर्दिष्ट ट्रेनों द्वारा प्राप्त किए जाने के बजाय प्रेषण वास्तव में उपरोक्त अवधि के बाद विभिन्न ट्रेनों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और बशर्ते मजदूरों की आपूर्ति की गई हो लेकिन उक्त घंटों के भीतर उनका उपयोग नहीं किया गया हो और कोई काउंटरमैंड नहीं दिया गया है, तो ठेकेदार को सामान्य दरों का आधा भुगतान

किया जाएगा जो भुगतान मजदूरों का उपयोग किये जाने पर किया गया होता।

5. समय-समय पर ठेकेदार को देय किसी भी राशि से और/या उससे अन्यथा वसूल की गई क्षति और हानि की राशि और लगाए गए किसी भी जुर्माने की कटौती बैंक द्वारा की जा सकती है।

6. चूंकि कार्य के दायरे में खजाना/सिक्का/नोट बक्सों का वजन करना, स्टैकिंग करना और भंडारण करना और बैंक परिसर और अन्य स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन/मुद्रा तिजोरी आदि में, मोटर लॉरी से उतराई आदि शामिल है। ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह मजदूरों के माध्यम से उक्त कार्य को उचित और सावधानीपूर्वक तरीके से करे और उसके द्वारा लगाए गए मजदूर उसके अपने कर्मचारी होंगे और उसके पास बैंक में तैनाती का कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को मजदूरों के काम की निगरानी के लिए उपस्थित होना चाहिए और जब तक संविदा के तहत काम चल रहा है तब तक बैंक में रहना चाहिए।

7. संविदा के किसी भी प्रावधान के संबंध में ठेकेदार द्वारा लगातार और निरंतर देरी या किसी भी उल्लंघन के मामले में, मुख्य महाप्रबंधक के अनुमोदन से आवश्यक होने पर उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा जुर्माना निर्धारित किया जा सकता है; भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से तत्काल क्या इस तरह के विलंब या उल्लंघन के लिए ऊपर दिए गए अनुसार कोई जुर्माना लगाया गया है या नहीं।

8. संविदा के उचित निष्पादन के लिए उक्त ठेकेदार द्वारा बैंक में जमा की गई ₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) की राशि को पूरी तरह से या आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है, जो नुकसान के आधार पर होगा। बैंक के उक्त मुख्य महाप्रबंधक के परामर्श से यदि आवश्यक हो तो उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि कोई नुकसान नहीं होता है, तो ठेकेदार द्वारा जमा की गई ₹2,00,000/- की राशि संविदा/करार की अवधि समाप्त होने की तारीख से 30 दिनों के बाद जारी की जाएगी। उक्त अवधि के भीतर यदि कोई क्षति या हानि बैंक को सूचित की जाती है, तो उक्त हानि को सुरक्षा राशि से वसूल/काट लिया जाएगा और शेष राशि ही, यदि कोई हो, ठेकेदार को जारी की जाएगी। उक्त जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

9. ठेकेदार को भारत सरकार के सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय से एक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि संविदा श्रम (उन्मूलन और विनियम) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) और संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम 1971 के तहत प्रदान किया गया है और उपरोक्त अधिनियम की अन्य आवश्यकताओं का भी अनुपालन करते हैं, जिसमें विफल रहने पर कार्रवाई/आगामी कार्रवाई के लिए केवल ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ठेकेदार को इस संविदा के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय और साथ ही राज्य कानूनों के तहत किसी अन्य कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी से कोई अन्य लाइसेंस प्राप्त करने की भी आवश्यकता होगी। बैंक ठेकेदार के कार्यों, कुकर्मों, कार्य या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और ठेकेदार द्वारा नियोजित मजदूरों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अलावा, उपरोक्त कार्य करने के लिए मजदूरों को नियोजित करते समय ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और अन्य श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करेगा। ठेकेदार बैंक में उसके द्वारा लगाए गए प्रत्येक श्रमिक के पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करना और उसकी एक प्रति बैंक को जमा करना सुनिश्चित करेगा।

10. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक द्वारा ठेकेदार को जारी किए गए सभी अनुदेश, दिशानिर्देश और विनिर्देश स्पष्ट रूप से और प्रभावी ढंग से ठेकेदार द्वारा अपने कर्मचारियों और कर्मियों को सूचित किए गए हैं। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अनुदेश, दिशा-निर्देशों और विनिर्देशों का ठेकेदार के कर्मचारियों और कर्मियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिष्ठा से समझौता न हो।

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार और/या उसके कर्मचारियों और/या कर्मियों की कोई भी कार्रवाई प्रचलित कानूनों और विनियमों का उल्लंघन नहीं करेगी। ठेकेदार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले ऐसे किसी भी कर्मचारी को शामिल नहीं करेगा जिसके खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास कोई शिकायत दर्ज की गई हो।

11. ठेकेदार द्वारा लगाए गए कामगारों/कर्मचारियों का बैंक के कर्मचारियों/अतिथियों आदि द्वारा प्राप्त सुविधाओं पर कोई अधिकार/दावा नहीं होगा। ठेकेदार के कर्मचारियों का बैंक के साथ कोई कर्मचारी-नियोक्ता या स्वामी-सेवक संबंध नहीं होगा।

12. ठेकेदार किसी अन्य को संविदा नहीं देगा। वह बैंक की लिखित सहमति के बिना संविदा के किसी भी हिस्से को सबलेट नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक संविदा का उल्लंघन करने वाले ठेकेदार को लिखित रूप में एक नोटिस भेज सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ बैंक को उपलब्ध अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक के पास रखी सुरक्षा जमाराशि को जब्त कर लिया जाएगा।

13. संविदा **01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024** तक की अवधि के लिए होगी। यह संविदा, उल्लिखित अवधि के भीतर, दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसी समाप्ति की लिखित सूचना 3 महीने का समय देकर समाप्त की जा सकती है। हालांकि, यदि ठेकेदार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, तो उप महाप्रबंधक द्वारा अनुबंध को एकतरफा रूप से बिना किसी नोटिस या क्षतिपूर्ति के समाप्त कर दिया जाएगा।

14. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों का भुगतान अंतिम राशि को निकटतम रु.1/- में पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा। 50 पैसे और इससे कम के मामले में इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

15. इस करार के प्रावधान और संलग्न अनुसूचियों में दर्शाई गई दरें 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हैं।

16. **प्रति बोलीदाता एक बोली -** प्रत्येक बोलीदाता या तो स्वयं या संयुक्त उद्यम में भागीदार के रूप में या कंसोर्टियम के सदस्य के रूप में केवल एक निविदा प्रस्तुत करेगा। यदि कोई बोलीदाता या संयुक्त उद्यम में कोई भागीदार या कंसोर्टियम का कोई सदस्य एक से अधिक बोली में भाग लेता है, तो बिना कोई कारण बताए बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17. **अनुयाचन -** किसी बोली की स्वीकृति को प्रभावित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी रूप में अनुयाचन करना, याचना करना या किसी भी रूप में लुभाने का प्रयास करना भारत के कानूनों के तहत अपराध होगा। ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप अन्य दंडात्मक उपायों के अलावा बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

18. विवर्जित करना/निरर्हता: यदि ठेकेदार द्वारा संलग्न किया गया कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज अथवा प्रस्तुत विवरण गलत/नकली/फर्जी के अथवा उसके साथ छेड़छाड़ किया हुआ पाया जाता है या जानकारी का खुलासा नहीं किया जाता है, तो ठेकेदार को विवर्जित कर दिया जाएगा और उसे भारतीय रिजर्व बैंक में भविष्य में कोई काम नहीं दिया जाएगा। संयुक्त उद्यम या साझेदारी फर्म अथवा अन्य किसी प्रकृति की फर्म जिसमें ठेकेदार एक पार्टी है, को भी कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में ठेकेदार भी नकारात्मक सूची में रखे जाने के लिए उत्तरदायी होगा और तीन साल की अवधि के लिए बैंक द्वारा जारी किसी भी निविदा में भाग लेने से उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कार्य सौंपे जाने के बाद कार्य निष्पादित करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ठेकेदार, उसके सहयोगियों और संस्थाओं को बैंक में कोई भी संविदा को अवार्ड करने से वंचित करने का अधिकार रखता है। बैंक इस संविदा के अंतर्गत संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहने वाले ठेकेदार को किसी भी निविदा में भाग लेने अथवा बैंक में किसी भी कार्य को तीन साल की अवधि के लिए विवर्जित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ठेकेदार को विवर्जित करने से पहले ठेकेदार को 10 दिनों का नोटिस जारी करेगा और ठेकेदार द्वारा इस तरह के नोटिस के लिए दिए गए उत्तर पर विचार करेगा। इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

19. निविदाओं का स्पष्टीकरण

(ए) निविदाओं परीक्षण, मूल्यांकन, तुलना और निविदाकारों की योग्यता में सहायता प्रदान करने हेतु, बैंक अपने विवेकानुसार किसी भी निविदाकर्ता से उसकी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता है तथा इस संबंध में उत्तर देने के लिए उचित समय दे सकता है। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक द्वारा अनुरोध के प्रतिउत्तर में नहीं दिया गया है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और प्रतिउत्तर लिखित रूप में होगा। निविदाओं के मूल्यांकन में बैंक द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि के अतिरिक्त, कीमतों अथवा निविदा के सार में कोई बदलाव नहीं मांगा, प्रस्तावित अथवा उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(बी) यदि कोई निविदाकर्ता स्पष्टीकरण के लिए बैंक के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

20. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

(i) ठेकेदार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन हेतु जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी।

(ii) सेवा प्रदाता के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी या बैंक में कार्यरत किसी अन्य फर्म के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

(iii) यदि यौन उत्पीडन की घटना में ठेकेदार का कर्मचारी शामिल रहता है और ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न/ हिंसा किया जाना सिद्ध हो जाता है तो इस हेतु बैंक के कर्मचारी को देय किसी प्रकार की मौद्रिक क्षतिपूर्ति हेतु ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

(iv) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संबंधित मामलों की रोकथाम के संबंध में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

(v) ठेकेदार मासिक आधार पर बैंक के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

21. विवाद समाधान

विवाचन: सिवाय इसके कि जहां संविदा में अन्यथा प्रदान किया गया है, कार्य के दायरे, नियम और शर्तों के अर्थ से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद, यहां पहले उल्लेख किया गया है और सर्विस अथवा सामग्री की गुणवत्ता के रूप में अथवा किसी अन्य प्रश्न, दावे, अधिकार, मामले के रूप में या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाली अथवा संविदा से संबंधित, कार्य का दायरा, नियम और शर्तें, निर्देश, आदेश या अन्यथा कार्यों से संबंधित या कार्य-निष्पादन/कार्य-निष्पादन करने में विफलता चाहे संविदा की प्रगति के दौरान उत्पन्न हुई हो अथवा इसके पूरा

होने के बाद क्षेत्रीय निदेशक की एकमात्र मध्यस्थता अथवा अथवा क्षेत्रीय निदेशक द्वारा इस तरह के मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के इच्छुक, नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता के लिए संदर्भित मामले उन मामलों के अलावा होंगे जिनके लिए संविदा में महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक के निर्णय को अंतिम और निर्णायक निर्धारित किया गया है। यदि नियुक्त किया गया मध्यस्थ भारतीय रिजर्व बैंक का कर्मचारी है तो कोई आपत्ति नहीं होगी और यह कि उसे उन मामलों से निपटता था जिनसे संविदा संबंधित है तथा यह कि अपने कर्तव्यों के दौरान उन्होंने विवाद अथवा मतभेद के सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किया था। जिस मध्यस्थ को मामला मूल रूप से संदर्भित किया गया है, यदि स्थानांतरण के कारण उसका कार्यालय खाली हो गया अथवा किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ है, जैसा कि इस तरह के स्थानांतरण, कार्यालय की छुट्टी अथवा कार्य करने में असमर्थता के समय पूर्वोक्त है, क्षेत्रीय निदेशक इस संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। मध्यस्थ के रूप में नियुक्त ऐसा व्यक्ति, उस स्टेज से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा जिस पर उसके पूर्ववर्ती द्वारा जिसे स्टेज पर इस केस को छोड़ा गया था।

(ii) माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के पूर्वोक्त प्रावधान अथवा उसके किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा पुन: अधिनियमन और उसके तहत बनाए गए नियमों और उस समय के लिए लागू इस खंड के तहत मध्यस्थता की कार्यवाही पर लागू होंगे। यह संविदा की एक शर्त है कि मध्यस्थता में शामिल पक्ष इस खंड के तहत मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किए जाने वाले विवाद अथवा विवादों को प्रत्येक ऐसे विवाद के संबंध में दावा की गई राशि अथवा राशियों के साथ निर्दिष्ट करेगा।

(iii) मध्यस्थ समय-समय पर पक्षों की सहमति से निर्णय देने और प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ा सकते हैं।

(iv) संविदा के तहत काम, यदि यथोचित रूप से संभव हो, तो मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान जारी रहेगा और ऐसी कार्यवाही के कारण एजेंसी को देय कोई भुगतान नहीं रोका जाएगा।

(v)मध्यस्थ को पहली सुनवाई की तारीख निर्धारित करने के लिए दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने की तारीख पर संदर्भ में प्रवेश करने के लिए माना जाएगा।

(vi) मध्यस्थ, संदर्भित प्रत्येक विवाद अथवा मतभेद के संबंध में एक अलग निर्णय देगा। मध्यस्थता का स्थान भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ होगा।

(vii) मध्यस्थ का निर्णय इस संविदा के सभी पक्षों के लिए अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा। लखनऊ के न्यायालयों का अनन्य अधिकार-क्षेत्र होगा।

22. ठेकेदार के कामगार स्टाफ से संबंधित किसी भी श्रमिक/कर्मचारी की समस्या के मामले में, उसे ठेकेदार के स्तर पर ही सुलझाया जाएगा। ठेकेदार उपयुक्त रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। ठेकेदार के कर्मियों/कर्मचारियों का भारतीय रिज़र्व बैंक के विरुद्ध/खिलाफ किसी भी तरह का कोई दावा नहीं है और ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने स्वयं के कर्मियों / कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से सूचित करे कि उनका भारतीय रिज़र्व बैंक के विरुद्ध/खिलाफ कोई दावा नहीं होगा और वे अपनी किसी भी सेवा शर्तों के संबंध में अथवा, अन्यथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ या उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष रूप से कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाएंगे।

23. संविदा की अवधि के दौरान लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले नुकसान, क्षति अथवा दावों के विरुद्ध ठेकेदार भारतीय रिजर्व बैंक, निदेशकों, इसके अधिकारियों, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा, क्षतिपूरित रखेगा और अच्छा रखेगा तथा ठेकेदार अथवा उनके सेवा कर्मियों द्वारा की किए गए कदाचार, चूक और लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले दावों के संबंध में भी ठेकदार और उनके सेवा कर्मियों की लापरवाही के कारण उत्पन्न हुए दावों के विरुद्ध क्षतिपूरित रखेगा।

24. कर: इस करार के तहत देय राशि में सभी कर, शुल्क स्थानीय लेवी, कार्य संविदा कर अथवा केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा मौजूदा दरों पर लगाए गए किसी भी तरह के अन्य कर शामिल होंगे, परन्तु जीएसटी को छोड़कर। ठेकेदार बैंक को प्रस्तुत बिल/चालान में वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या) GSTIN) का उल्लेख करेगा। ठेकेदार बैंक को GSTIN पंजीकरण के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। बैंक द्वारा मांगे जाने पर, ठेकेदार संबंधित अधिकारियों को **GST** के भुगतान का प्रमाण) इस संविदा के तहत प्रदान की गई सर्विस के लिए लागू (प्रस्तुत करेगा। यदि ठेकेदार बिल में लागू करों, शुल्कों, स्थानीय लेवी को शामिल करने में विफल रहता है, तो उसके बाद बैंक द्वारा इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961के अनुसार, लागू होने वाले करों की कटौती स्रोत पर की जाएगी और इसके लिए बैंक द्वारा ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

25. यह करार दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा; मूल प्रति बैंक के पास रखी जायेगी तथा दूसरी प्रति ठेकेदार द्वारा रखी जाएगी। इस करार के प्रयोजनों के लिए आवश्यक और देय स्टाम्प ड्यूटी और चार्जेज केवल ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे।

26. निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित नियम और शर्तें इस करार का हिस्सा और अभिन्न अंग होंगी।

27. इस करार का हिंदी संस्करण केवल सुलभ संदर्भ के लिए है। इस करार के किसी खंड की व्याख्या के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह/अंतर/विसंगति के मामले में, इस करार का अंग्रेजी संस्करण उसके के लिए मान्य होगा।

इसके साक्ष्य में, बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी और ठेकेदार के माध्यम से लखनऊ में पूर्व में लिखित दिन, महीने और वर्ष को निर्धारित किया गया है और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

हस्ताक्षर खंड

<u>भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए और उसकी ओर से</u>

(हस्ताक्षर)

नाम:

सहायक महाप्रबंधक
निर्गम विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ

गवाह

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

पता:

ठेकेदार के लिए और उसकी ओर से

(हस्ताक्षर):

नाम:

मुहर:

गवाह

हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

अनुबंध - I

अनुसूचित बैंक से बैंकर प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार मैसर्स/श्री _____

जिनका पता _____ है, ये हमारे बैंक के ग्राहक के रूप में सम्माननीय के पास है/हैं और इन्हें

_____ (रुपये) की सीमा तक के किसी भी कार्य को प्रदान करने हेतु अच्छा माना जा सकता है। यह

प्रमाणपत्र बिना किसी गारंटी अथवा इस संबंध में किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर) कृते बैंक

नोट :

ए. बैंकर का प्रमाण पत्र बैंक के पत्र शीर्ष पर, महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ -226010 को संबोधित होना चाहिए।

बी. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक के पास दर्ज सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

अनुबंध- II

अनुभव प्रमाण पत्र

पात्रता मानदंड के अनुसार निष्पादित कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम और उसकी प्रकृति	संस्थान/फर्म का नाम और पता	राशि (रुपये में)	कार्य की अवधि	टिप्पणी

नोट:

ए) उक्त कार्य किए जाने के दस्तावेजी साक्ष्य (**जैसे कि कार्य आदेश, समापन प्रमाण पत्र आदि**) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

बी) यदि आवेदन पत्र में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्थान अपर्याप्त है, तो सूचना प्रस्तुत करने हेतु एक अलग शीट पर विधिवत हस्ताक्षरित किया जा सकता है, जिसमें विवरण और क्रम संख्या देते दस्तावेज के भाग के रूप में अंकित किया जाए।

मुहर सहित आवेदक के हस्ताक्षर

भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
लखनऊ

सिक्का बैग और नोट बॉक्स को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति हेतु निविदा

भाग II – वित्तीय बोली

ई-निविदा सं.: RBI/Lucknow/Issue/24/22-23/ET/628

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____

_____

नोट:

सभी निविदाकारों को उद्धृत करने से पहले प्रत्येक मद के तहत कार्य के विवरण के लिए इस दस्तावेज़ के भाग I में दी गई वस्तुओं को संदर्भित करना आवश्यक है

भाग II- वित्तीय बोली

क्र.सं.	कार्य का विवरण (संविदा अवधि के दौरान किया जाने वाला)	यूनिट	संविदा की अवधि के दौरान अनुमानित आंकलित गतिविधि (ए)	उद्धृत दर / यूनिट (₹ में) (जीएसटी के अतिरिक्त) (बी)	कुल (₹ में) (जीएसटी के अतिरिक्त) (ए * बी)
1	**जावक विप्रेषण:** ट्रेन द्वारा तिजोरी से नोट के बक्सों को हटाने, व्यवस्थित करने, वजन करने, बैंक में कंटेनरों में लोड करने, लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उतारने और वैगनों में लोड करने के लिए श्रम शुल्क।	**लकड़ी/स्टील के नोट बॉक्स**	1000		
		कोरुगेटेड नोट बॉक्स	1000		
2	**आवक विप्रेषण: ट्रेन द्वारा,** रेलवे वैगनों से नोट बक्सों को उतारने और लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कंटेनरों में लोड करने, कार्यालय में उतारने, व्यवस्थित करने, तौलने और वॉल्टों में इकठ्ठा करने के लिए श्रम शुल्क।	**लकड़ी/स्टील के नोट बॉक्स**	16000		
		कोरुगेटेड नोट बॉक्स	1000		
3	**जावक विप्रेषण: सड़क मार्ग द्वारा** जावक विप्रेषण के लिए कार्यालय में वॉल्ट से नोट बक्सों/सिक्कों के बैगों को कंटेनर में व्यवस्थित करने, तौलने, लोड करने के लिए श्रम शुल्क।	**लकड़ी/स्टील के नोट बॉक्स**	16000		
		कोरुगेटेड नोट बॉक्स	1000		
		सिक्कों के बैग	12000		
4	**आवक विप्रेषण: सड़क मार्ग द्वारा** आवक विप्रेषण के लिए कार्यालय में कंटेनर से नोट बक्सों/सिक्कों के बैंगों को उतारने, तौलने और इकठ्ठा करने के लिए श्रम शुल्क।	**लकड़ी/स्टील के नोट बॉक्स**	15000		
		कोरुगेटेड नोट बॉक्स	1000		
		सिक्कों के बैग	10000		
5	भरे हुए बक्सों/सिक्कों के बैगों को एक वॉल्ट से दूसरे वॉल्ट में ले जाने और फिर से जमा करने के कार्य के लिए श्रम शुल्क।	**लकड़ी/स्टील के नोट बॉक्स**	1000		
		कोरुगेटेड नोट बॉक्स	1000		
		सिक्कों के बैग	1000		
6	एक ही वॉल्ट के भीतर भरे हुए बक्सों/सिक्कों की थैलियों को ले जाने और फिर से जमा करने के कार्य के लिए श्रम शुल्क।	**लकड़ी/स्टील के नोट बॉक्स**	2000		

		कोरुगेटेड नोट बॉक्स	1000		
		सिक्कों के बैग	14000		
7	पीवी, पैकिंग आदि सहित एक ही वॉल्ट से भरे हुए बक्सों को ले जाने और फिर से जमा करने के कार्य के लिए श्रम शुल्क।	**लकड़ी/स्टील के नोट बॉक्स**	2000		
		कोरुगेटेड नोट बॉक्स	2000		
8	वॉल्टों से नोट के खाली बक्सों की निकासी के लिए श्रम शुल्क।	**नोट के खाली बॉक्स**	2000		
9	वाल्टों से परिवहन कंटेनरों तक नोट के खाली बक्सों को लादने के लिए श्रम शुल्क।	**नोट के खाली बॉक्स**	10000		
	कुल				

नोट:

(ए) ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त मदों के संबंध में 'शून्य' राशि उद्धृत न करें।

(बी) दरें सभी करों सहित परन्तु जीएसटी के बिना होनी चाहिए।

(सी) कीमतें केवल भारतीय रुपए में उद्धृत की जानी चाहिए।

(उपर्युक्त मूल्य बोली का प्रोफार्मा केवल आपके संदर्भ के लिए है। मूल्य बोली केवल एमएसटीसी ई-निविदा पोर्टल में भरी जानी है)

मैं आरबीआई, लखनऊ द्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों से सहमत हूं।

दिनांक: _____

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम (_____)

(फर्म/कंपनी की रबर स्टाम्प/मुहर सहित)